

9

F. No. - 65

परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना,
रामपुर (उ०प्र०)।

24

सेवा में,
निदेशक,
जी०बी० पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान,
झुसी, प्रयागराज/इलाहाबाद (उ०प्र०)।

पत्रांक :- 06-08

/रा०बा०श्र०परि०(रा०)

दिनांक :- 09-01-2019

विषय:- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत जनपद रामपुर (उ०प्र०) में बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कर चिन्हांकन कार्य कराये जाने की स्वीकृति संस्थान को प्रदान किये जाने विषयक-

महोदय,

कृपया आप अपने कार्यालय के पत्र सं० जीबीपीआई/बाल श्रम सर्वेक्षण/594/2018 दि०-10/08/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा जनपद रामपुर में बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कर चिन्हांकन कार्य किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

तदक्रम में जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा आपके संस्थान के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये जनपद रामपुर (उ०प्र०) में कार्यरत बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण द्वारा चिन्हीकरण निर्धारित संलग्न सर्वेक्षण प्रपत्र पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सर्वेक्षण उपरान्त 9-14 आयु वर्ग के चिन्हित बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों के क्लस्टर (समूह) व स्थान के आधार पर एन०सी०एल०पी० योजनान्तर्गत विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की संस्तुति सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित आपके संस्थान द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, निकट लेबर कोर्ट, राधा रोड, सिविल लाईन्स, रामपुर (उ०प्र०) पिनकोड-244901 को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में आपसे अनुरोध है कि तत्काल जनपद रामपुर में बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कर चिन्हांकन कार्य सम्पादित कर रिपोर्ट कार्यालय परियोजना निदेशक को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि निर्धारित समयावधि में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

According to talk : I II III
Installments : 40:40:20%

भवदीय,

(पंकज कुमार)

परियोजना निदेशक,

एन०सी०एल०पी०, रामपुर

पत्रांक :-

/उक्त

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- जिलाधिकारी महोदय, रामपुर।

02- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, रामपुर को अनुश्रवण हेतु।

Prd. Sumt Sum
Bex m m

(पंकज कुमार)

परियोजना निदेशक,

एन०सी०एल०पी०, रामपुर

गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान
Govind Ballabh Pant Social Science Institute
(A Constituent Institute of Central University of Allahabad)

प्रोफेसर सुनीत सिंह
कार्यकारी निदेशक

जीबीपीआई/बालश्रम सर्वेक्षण/ **544** /2018
अगस्त 10, 2018

सेवामें

श्री पंकज कुमार
परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना,
रामपुर (उत्तर प्रदेश)

विषय: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत जनपद रामपुर (उ०प्र०) में बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कर चिन्हांकन कार्य कराये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

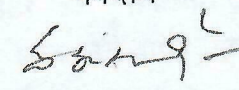
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 25ह2-78/एन०सी०एल०पी०(रा०)
दिनांक 12.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपर्युक्त पत्र के अनुक्रम में संस्थान आप द्वारा प्रस्तावित शोध कार्य करने हेतु सहमत है जिसकी कार्य योजना की रूप रेखा एवं अनुमानित व्यय का प्रस्ताव आपके विचारार्थ प्रेषित कर रहा हूँ।

आशा करता हूँ कि बालश्रम चिन्हांकन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संस्थान को जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे।

सादर,

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय

(सुनीत सिंह)

गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

परियोजना प्रस्ताव

रामपुर जनपद में बाल श्रम चिन्हाकन

बच्चे किशोर किसी भी समाज का भविष्य हैं इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण एवं समग्र विकास का दायित्व वर्तमान पीढ़ी का होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में बालश्रम उन्मूलन राष्ट्रीय चिन्ता का विषय हैं। जो समाज बाल श्रम को न रोक सके उसे सभ्य समाज कहलाने का अधिकार नहीं हैं। इसीलिए बाल श्रम को सामाजिक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। हाल के वर्षों में इसे समाप्त करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ठोस पहल की गयी है, उत्साहजनक परिणाम भी देखने को मिले हैं परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। अभी और प्रयास की जरूरत है ताकि इस समस्या को समूल समाप्त किया जा सके।

‘बाल श्रम’ दो अंतर्विरोधी शब्दों को मिलाकर उपजी एक अवधारणा है। जहाँ एक ‘बाल’ शब्द भोलेपन और कमजोर शारीरिक स्थिति की अभिव्यक्ति है वहीं दूसरी ओर ‘श्रम’ कठिन कार्य करने और मेहनत करने को दर्शाता है इस लिहाज से बालश्रम को रोका जाना समाज का नैतिक दायित्व है। जहाँ एक ओर प्राचीन काल से आर्थिक गतिविधियों में बाल श्रम का उपयोग प्रचलन में रहा है वहीं दूसरी ओर बच्चों को श्रमिक के रूप में नियोजित करने का विरोध भी साथ-साथ चलता रहा है और यह क्रम आज तक जारी है।

आधुनिक राजनैतिक एवं सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बालश्रम को आधुनिक दासता एवं बंधुआपन के स्वरूप में देखा जाता है। इस आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर इसपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकारी एवं गैरसरकारी संगठन संकल्प लेते रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

ILO कन्वेंशन सं. 138- 1973 में ILO के 138वें कन्वेंशन के आधार पर यह तय किया गया कि किसी भी स्थिति में रोजगार में प्रवेश की उम्र अनिवार्य शिक्षा की उपरी सीमा से कम नहीं होना चाहिए। भारत में यह उम्र सीमा 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

ILO कन्वेंशन सं. 138- 1999 में ILO कन्वेंशन 182 में कहा गया कि अनुच्छेद 1 में संकल्प लिया गया कि बाल श्रम के सर्वाधिक बुरे स्वरूपों को तत्काल रोकने तथा समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी कन्वेंशन में बालक/बालिका की उम्र सीमा 18 वर्ष तक निर्धारित किया।


 Director
 G. D. Pant Social Science Institute
 A Constituent Institute of University of Allahabad
 Allahabad

प्रश्नावलियों के सुधार पर पुनर्विचार	—	02
प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण चरण FGD	—	
एवं स्नोबाल प्रविधि प्रश्नावलियों के माध्यम से I	—	06
प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण चरण II	—	30
डाटा एन्ट्री एवं जाँच	—	07
विश्लेषण एवं रिपोर्ट लेखन	—	07
कुल	—	60

अनुमानित बजट

क्रम सं०	विवरण	संख्या	बजट
1	परियोजना स्टाफ		
(I)	परियोजना सलाहकार प्रोफेसर (स्थायी) 30 घंटे/प्रति माह @ 20000/प्रति माह	1	40,000.00
(II)	शोध अधिकारी- एम0ए0 (अस्थायी) @ 25000/प्रति माह	1	50,000.00
(III)	सर्वेक्षणकर्ता न्यूनतम योग्यता-बी0ए0@ 12,000.00 प्रतिमाह (अस्थायी)	8	1,92,000.00
	योग(1)		2,82,000.00
2	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग @ 5.00 प्रति प्रश्नावली	2000	10,000.00
3	सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण @ 500.00 प्रतिदिन X 2 X 8		8,000.00
4	यात्रा व्यय		
	8 सर्वेक्षणकर्ता @ 125X2X8		60,000.00
	1 शोधअधिकारी @ 150X1X30		45,000.00
	1 परियोजना निदेशक @ 2000X1X05		10,000.00
	योग(4)		745000.00
5	प्राथमिक आंकड़ों का डाटा एन्ट्री एवं विश्लेषण (SPSS)		25,000.00
	कुल योग (1+2+3+4+5)		3,99,500.00

Sangh
 Director
 G. B. Pant Social Science Institute
 A Constituent Institute of University of Allahabad
 Allahabad